लय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

सीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
रण संख्याः–54/2018

हजारीराम पुत्र स्व. हंसराज जाति मेघवाल साकिन 20 एलएम लूणियॉ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––– प्रार्थी

बनाम्

1. शरनी पुत्री रामदास जाति मेघवाल साकिन साकिन 20 एलएम लूणियॉ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
2. जीयाराम पुत्र चाणनराम जाति मेघवाल साकिन 20 एलएम लूणियॉ तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

हील–
1. श्री रविन्द्र बलाना एडवोकेट – प्रार्थी की और से
2. एकपक्षीय कार्यवाही – – अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध
3. श्री पुनीत कामरा एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

दिनांक 17.12.19

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 4/41 व मुरब्बा नं.–4/33 में प्रार्थी के पिता हंसराज व अप्रार्थी शरनी का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर–2 दर्ज है। उपनिवेशन विभाग द्वारा जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता हंसराज का नाम दर्ज होने से रह गया तथा समस्त कृषि भूमि 3.711 हैक्टर बनती है वह अकेले अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के पिता हंसराज की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी एवं उसका भाई धर्माराम अल्पआयु थें तथा जमाबंदी में हुये इन्द्राज का प्रार्थी एवं उसके भाई को कोई ज्ञान नहीं था तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमे दुरूस्ती संबंधी कार्यवाही चल रही है चूंकि मामला धारा 136 एलआर एक्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा ही निस्तारित किया जाना है। राजस्व विभाग की उक्त गलती की वजह से समस्त कृषि भूमि जो 3.711 हैक्टर बनती है। वह अप्रार्थीया सं.–1 के नाम से दर्ज हो गई जबकि रिकार्ड में अप्रार्थीया सं–1 व प्रार्थी के पिता हंसराज के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन जमाबंदी मे अभी तक दुरस्ती नहीं की जा सकी है। अप्रार्थीया सं–1 शरनी राजस्व विभाग की उक्त गलती का फायदा उठाने की फिराक मे है तथा अपने नाम की समस्त भूमि को आगे विक्रय करना चाहती है तथा प्रार्थी एवं उसके भाई को उसके हिस्सा से वंचित करना चाहती है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीया सं–1 को कहा कि वह रिकार्ड में दुरस्ती करवा कर प्रार्थी एवं उसके भाई के नाम से इंतकाल दर्ज करवा देवें लेकिन अप्रार्थीया सं–1 लगातार टाल मटोल करती आ रही है। आज से करीब एक सप्ताह

Scanned by CamScanner

पूर्व रिकार्ड में दुरस्ती करवाने व प्रार्थी तथा उसके भाई का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वह शीघ्र ही उक्त कृषि भूमि को आगे बैय कर देगी व मुंतकिल कर देगी तथा प्रार्थी व उसके भाई को उसके हिस्सा की जमीन से बेदखल कर देगी। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि 3.711 मे से1/2 हिस्से का अपने भाई धर्माराम के साथ बहिस्सा बराबर का हिस्सेदार है तथा अपने हिस्सा की सीमा तक माननीय न्यायालय से अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीया सं 1 के खिलाफ अस्थाई निषधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा जारी करते हुए उसे पाबन्द किया जावे कि विवादित कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय,मुंतकिल ना करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी दखलदांजी करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पुनीत कामरा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–34 पत्थर संख्या04/41 के किला नम्बर 1ता13 प्रत्येक का 0.253 हैक्टर 14/1 का0.169 हैक्टर कुल3.458 हैक्टर कमाण्ड मय खाला व मुरब्बा नम्बर 35 पत्थर संख्या4/33 के किला नम्बर 23 का 0.253 हैक्टर कमाण्ड इस प्रकार कुल 3.711 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीया सं.–1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई थी अप्रार्थीया सं01 द्वारा अपने नाम की दर्ज उक्त कृषि भूमि मे से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि का बैचान मन अप्रार्थी को करके मन अप्रार्थी से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुये बैयनामा दिनांक 15.01.2018 को मन अप्रार्थी के नाम से उक्त 1.518 हैक्टर भूमि में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार दर्ज काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी अथवा उसके पिता का कोई हित निहित नहीं है। बल्कि अप्रार्थी सं.1 शरनी के नाम से उक्त कृषि भूमि का बैचान जरिये बैयनामा दिनांक 15.01.2018 को करने के उपरांत अप्रार्थी सं.–1 शरनी के मन में बेईमानी आ गई और उसके द्वारा मन अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा को शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया लेकिन उक्त वाद पत्र में अप्रार्थी सं.–1 को कोई सफलता नही मिलती देख अप्रार्थी सं–1 ने प्रार्थी के साथ मिलीभक्त करके उक्त झुठी कहानी बनाकर झुठे तथ्यों के आधार पर हस्तगत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। उक्त दोनो प्रकरण में शरनी व प्रार्थी का एक ही अधिवक्ता है। जिसने न्यायालय को गुमराह करने के उदेश्य से उक्त प्रकरण में मन अप्रार्थी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। राजस्व रिकॉर्ड की किसी गलती की वजह से उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज नहीं हुई बल्कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 से मिलकर एक झूठी कहानी तैयार की है जिसमें सच्चाई के लेशमात्र भी अंश नही है। प्रार्थी के पिता हंसराज का उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हित निहित नही बनता था ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई सबूत पेश किया है। अप्रार्थी के पक्ष मे बैयनामा दिनांक 15.01.2018 अप्रार्थीया सं.–1 के द्वारा स्वेच्छा से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुए निष्पादित एवं पंजीकृत करवाकर प्रश्नागत भूमि का कब्जा मन अप्रार्थी का सदभाविक क्रेता की हैसियत से कब्जा चला आ रहा है। पंजीकृत बैयनामा के प्रकाश में प्रश्नागत भूमि मन अप्रार्थी के नाम

Scanned by CamScanner

से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है व प्रश्नागत के संबंध में अप्रार्थीया सं.–1 के समस्त हक अधिकार समाप्त होकर मन अप्रार्थी में निहित हो चुके है। वर्तमान में अप्रार्थी सं.–1 प्रश्नागत भूमि का खातेदार कृषक है प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई हित निहित नहीं बनता है। प्रार्थी को प्रश्नागत भूमि के संबंध में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित है इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही है। चूंकि अप्रार्थीया शरनी ने बैयनामा जो अप्रार्थी जीयाराम के पक्ष में किया है को निरस्त करवाने का एक प्रकरण शरनी की तरफ से सिविल न्यायाधीश अनूपगढ के न्यायालय मे पेश कर रखा है। इसलिए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का मामला बनता है। सिविल न्यायालय ही तय करेगा। इसलिए प्रार्थी का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र मौजूदा स्टेज पर खारिज होने के काबिल है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावें। खर्चा जवाबदेही दिलाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 4 एनएम तहसील अंनूपगढ का मुरब्बा नं. 4/41 व मुरब्बा नं.–4/33 में प्रार्थी के पिता हंसराज व अप्रार्थी शरनी का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर–2 दर्ज होना था। जो उपनिवेशन विभाग द्वारा जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता हंसराज का नाम दर्ज होने से रह गया तथा समस्त कृषि भूमि 3.711 हैक्टर बनती है वह अकेले अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज कर दी गई।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए।

1. **RJB 2016 Page 245**
2. **RJB 2017 Page 312**
3. **RJD 2009 Page 714**
4. **WLC(4 C) Page 714**

विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दु है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :–प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं. 4/41 व मुरब्बा नं.–4/33 में प्रार्थी के पिता हंसराज व अप्रार्थी शरनी का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर–2 दर्ज होना था जो उपनिवेशन विभाग द्वारा जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता हंसराज का नाम दर्ज होने से रह गया तथा समस्त कृषि भूमि 3.711 हैक्टर बनती है वह अकेले अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज कर दी गई। प्रार्थी के पिता हंसराज की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी एवं उसका भाई धर्माराम अल्प आयु थें तथा जमाबंदी में हुये इन्द्राज का प्रार्थी एवं उसके भाई को कोई ज्ञान नहीं था तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह

Scanned by CamScanner

गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमे दुरूस्ती संबंधी कार्यवाही चल रही है चूंकि मामला धारा 136 एलआर एक्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा ही निस्तारित किया जाना है। राजस्व विभाग की उक्त गलती की वजह से समस्त कृषि भूमि जो 3.711 हैक्टर बनती है। वह अप्रार्थीया सं.–1 के नाम से दर्ज हो गई जबकि रिकार्ड में अप्रार्थीया सं–1 व प्रार्थी के पिता हंसराज के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन जमाबंदी में अभी तक दुरस्ती नहीं की जा सकी है। अप्रार्थीया सं–1 शरनी राजस्व विभाग की उक्त गलती का फायदा उठाने की फिराक में है तथा अपने नाम की समस्त भूमि को आगे विक्रय करना चाहती है तथा प्रार्थी एवं उसके भाई को उसके हिस्सा से वंचित करना चाहती है। अगर अप्रार्थीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी विवादित भूमि में अपने हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के आधिकारी है। चूंकि समस्त तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आने पर ही तय किये जा सकेगें। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः**–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थी कें पिता हंसराज व अप्रार्थी शरनी का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज होना था, जो उपनिवेदशन विभाग की लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी के पिता हंसराज का नाम दर्ज होने से रह गया व अकेले अप्रार्थी सं.1 के नाम से कुल कृषि भूमि 3.711 दर्ज हो गयी। प्रार्थी का उपर्युक्त विवादित भूमि में कोई हित निहित नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**– प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश ना दिये जाने की सूरत में निश्चित ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही होगी।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का स्वीकार किया जाकर वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वाके चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–4/41 का किला नं. 1ता14 में 3.458 हैक्टर व पत्थर नं. 4/33 का किला नं. 23 का 0.253 हैक्टर कुल 3.711 भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल न करे एवं प्रार्थी के कब्जाकाश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से बाज व ममनु रहें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **17.12.2019** को सरे इज़लास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.13 12:17:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: